

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)



ग्राम : बल्लुवाली	पट्टवार मण्डल : अथरामपुरा	भू.अ.नि.कृत-चलावता	तहसील : खण्डेता	जिला : सीकर
नामांतरकरण का प्रकार : समर्पण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक : 370 11/10/2021	संवत तथा दाल बांछ की क्रम संख्या : 2074-2077		
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :	नामांतरकरण शुल्क : 20 पास्ति : 0			

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा वर्गीकरण	राजस्व जगाम	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा वर्गीकरण	राजस्व जगाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1159/971	1.0600	बाराही 3	2-51	1.) हस्ताल पुत्र सेठ हिस्सा- पूर्ण जाति- बल्लुवाली नगरपालिका आदिवासी	263	1.) नगरपालिका श्री माधोपुर हिस्सा- पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि बल्लुवाली खसरा	1159/971	1.0800	आवासीय प्रयोजनार्थ	
खता : 228	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 1.0600	कुल काश्तकार : 1	खता : 263	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 35	कुल क्षेत्रफल : 12.6147				

(क) पट्टवारी की रिपोर्ट : श्रीमान जी, मुहाबिर 90 (क) के LR क्र. 1956 एवं कार्यालय बल्लुवाली (भू.अ.नि.कृत) के आदेश क्रमांक भू.अ.नि.कृत 2658 दिनांक 15.09.21 को फाइल नं. 5 नामांतरकरण के लिए प्रस्तावित है।
हस्ताक्षर : [Signature]
पट्टवारी का नाम : [Name]
दिनांक : 11/10/2021

(ख) भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट : जांच की गई आवासीय समर्पण जगह पुष्ट है।
हस्ताक्षर : [Signature]
भू.अ.निरीक्षक का नाम : [Name]
दिनांक : 11/10/2021

(ग) ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारी का आदेश :

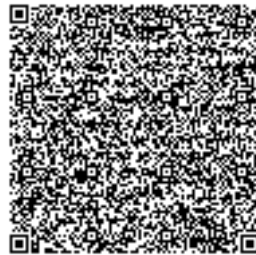
खता : 228	कुल खसरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 1.0600	कुल काश्तकार : 1	खता : 263	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 35	कुल क्षेत्रफल : 12.6147
-----------	--------------	------------------------	------------------	-----------	------------------	---------------	-------------------------

नामांतरकरण संख्या 370 सीकर 22/10/2021
हस्ताक्षर : [Signature]
ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारी का नाम : [Name]
दिनांक : 22/10/2021

P21 प्रतिलिपि प्राप्ति संख्या एवं दिनांक : 1 | 10/11/2021 11:37:47 AM |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunan Devi
Designation : Tehsildar
Date : 2021.10.25 10:35:32 IST
Reason : Approved
Location :



प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर

मामला सं. 1764 और 202 वर्ष

1. श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी शिवपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु।

श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी शिवपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर

आदेश

दिनांक 13/04/2024

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

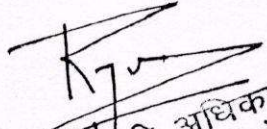
(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए :-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
खण्डेला (सीकर)	बल्लुवाली	1159/971	1.0600 हैक्टर

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र और शपथ पत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह है कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति का रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/ विकास योजना/ स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित कर भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 1159/971 माप रकबा 1.0600 हैक्टर को ग्राम राजस्व बल्लुवाली तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।


अधिशेषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(5) उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए गैर कृषिक प्रयोजनार्थ में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13/09/2021 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
अधिसूचना अधिकारी

नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर
दिनांक 13/09/2021

सं. 1765-68

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. सचिव/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण श्रीमाधोपुर।
2. तहसीलदार, खण्डेला तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री हरलाल पुत्र श्री सेडूराम निवासी शिवपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4. सुरक्षित पत्रावली

प्राधिकृत अधिकारी

अधिसूचना अधिकारी

नगर पालिका मण्डल, श्रीमाधोपुर

%

श्रीमाधोपुर
नगर पालिका मण्डल